



muthoot
HOUSING FINANCE

मुथूट हाउसिंग फ़inance कम्पनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 2/वीं स. 14/7-ए/17, मुथूट स्टेशन, पुणेनगर रोड, विलसतपुर-695 034, CIN No - U68922KL2010 PL0025624, फ़ोन नम्बर : 12/ए/01, 13वां तल, प्रोबो क्रिमेन्को, प्लॉट स. सीओर और सीओर, 30वां कुल्लू कॉम्प्लेक्स -जी वी एम (ईस्ट), मुंबई -400051 फ़ोन नं. 022-82728517, ईमेल जाला : authorised.officer@muthoot.com

परिशिष्ट-IV (नियम-8(1)) कम्पनी सूचना (अबल सम्पत्तियाँ के लिए)

अबली अघोहस्ताक्षरी ने मेसर्स मुथूट हाउसिंग फ़inance कम्पनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिन्युक्तिपूर्ण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिन्युक्तिपूर्ण के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम संख्या 2002 का 54) के तहत और प्रातिन्युक्ति वित्ति (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पडित्त सात 13 (2) के तहत प्रवर्तन शालीयाँ के प्रयोग से निम्न वित्तीय सम्पत्तियाँ सूचीबद्ध की गयी हैं। उक्त सूचना प्रातिन्युक्ति जारी की गयी है। उक्त सूचना प्रातिन्युक्ति की शिनाँक सं 60 पडित्त पृष्ठ होने के नाते, कृपया कृपया उसे उधारकर्ता/ऑ/गारंटर/ऑ/चरि प्रकृति ने विकल्प रहे हैं, एतद्वारा कृपया कृपया उसे उधारकर्ता/ऑ/गारंटर/ऑ/चरि और सर्व सम्पत्तियों को सूचना दी जाती है। अघोहस्ताक्षरी ने इस संदर्भ में उक्त अघोहस्ताक्षरी के उक्त निर्णयों के नियम 8 व 9 के साथ पडित्त सात 13 (4) के तहत उक्त प्रातिन्युक्ति प्रयोग के प्रयोग से निम्न वित्ति वित्ति वित्ति का प्रातिन्युक्ति कम्पनी से लिया है।

क्र.सं.	कृपया सात 13 (2) उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता / गारंटर	कम्पनी की शिनाँक	कम्पनी की शिनाँक (क) वित्तीय का लागू भाषा	कम्पनी की शिनाँक
1.	कृपया सात 13, 15660084227, 1. इन्वय शरीर उक्त इन्वय शरीर उक्त नोहमय इन्वय, 2.पवनी इन्वय	22 मई, 2024	7, 76, 57, 76.84/- 14 मई, 2024 रुक	06 जून, 2026

प्रवृत्ताभूत संपत्तियाँ (ऑ)/अबल संपत्तियाँ (वीं) का वितरण: संपत्ति धारक आवासीय मकान प्लॉट सं. एन-244/1 पर निर्मित, मापक 50 वर्ग मी, या 41.80 वर्ग मीटर, निर्दिष्ट निगमकृता खसरा सं. 3126, स्थित समर गाँव कॉलोनी, मेरठ, उत्तर प्रदेश-280002 का संपूर्ण सवर्गीय भाग, सीमांकन: 45 अड/प्लॉट सं. एन-243, पडित्तन: 45 अड/अन्य का मकान, उत्तर: 10 अड/मंजूर अहमद का मकान, दक्षिण: 20 अड/20 अड/प्लॉट सस्ता

वितरण संपत्ति उधारकर्ता/ऑ/गारंटर/ऑ/चरि और सम्पत्तियों से उधारकर्ता को अग्रणी कम्पनी जाला है कि यह संपत्ति के प्रयोग से उधारकर्ता से उधार संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार एक उधारकर्ता मानी गयी है और उधार पर सम्पत्तियों के वितरण के लिए मेसर्स मुथूट हाउसिंग फ़inance कम्पनी लिमिटेड के अग्रणी है।

उत्पन्न : उत्तर प्रदेश, दिनांक : 10 जूनवरी, 2026 **हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, प्राति मुथूट हाउसिंग फ़inance कम्पनी लिमिटेड**

[illegible]

प्रकाशन

कर्न खराता ख. **HHLNOD00455291** में दिनांक **31.12.2025** का नोटिस सुरुविल लेनदार सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियानुस्त्र हाउसिंग फावामनन लिमिटेड ("अधोलक्ष्मणर") के नाम से जाना जाता था) की ओर से अधोलक्ष्मणर द्वारा, सोनी ("उपचारकर्ता(अधोलक्ष्मणर)) सह-उधारकर्ता(सह-उधारकर्ताओं) ("को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 7 (सात) दिनों के भीतर स्थायी प्रस्ताव कुमार के अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों के बारे में अधोलक्ष्मणर को जानकारी प्रदान करने के लिए जारी किया गया। अधोलक्ष्मणर/सह-उधारकर्ता कानूनी उत्तराधिकारों का निवेदन करने में विफल रहे हैं, इसलिए अधोलक्ष्मणर द्वारा अब मान लिया गया है कि उक्त उधारकर्ता(अधोलक्ष्मणर) सह-उधारकर्ता(सह-उधारकर्ताओं) के अलावा स्थायी प्रस्ताव कुमार के कोई अन्य कानूनी उत्तराधिकारी नहीं हैं।

कुल सेवान कैंपिटल लिमिटेड
(पहले इंडियानुस्त्र हाउसिंग फावामनन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

स्थान : मई दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी**

[illegible][illegible]

IRDA Licence No. 129

जान सूचना

 **STAR** Health
HEALTH INSURANCE
INSURANCE IN THE LUCKY NUMBER OF EDUCATION

देहरादून बी.ओ और ए.ओ कायालिह के स्थानांतरण हेतु सूचना
स्टार हेल्थ एंड एलाइड इन्शोरेंस कंपनी लिमिटेड

हमें सर्वे सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि हमारी देहरादून बी.ओ और
ए.ओ कायालिह निम्नलिखित पते पर स्थानांतरित हो गए हैं और दिनांक
01 जनवरी 2026 के प्रभाव से संवत्मान शुभ हो गया है।

STAR HEALTH AND ALLIED INSURANCE COMPANY LIMITED
Solu Plaza, 2nd Floor, 65A, Rajpur Road, Opposite Secretariate Dehradun,
Uttarakhand - 248001. Phone No. 0135-2659875/ 0135-2719875/0135-7249603
E-Mail : dehradun@starhealth.in, dehradun.ao@starhealth.in

[illegible][illegible]

निम्नलिखित शर्तें:

1. अंगितपत्र ई-नीलामी (<https://baanknet.com>) पोलेटिफिकेट के माध्यम से निर्धारित तिथि और समय पर आयोजित की जाएगी। इच्छुक बोलोदाता/क्रेता को यैच ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके (<https://baanknet.com>) पर पंजीकरण करना आवश्यक है। इच्छुक बोलोदाता/क्रेता को अपने केवाईसी दस्तावेज और बैंक विवरणों पर अपलोड करने होंगे। पंजीकरण और अपलोडिंग की प्रक्रिया समय से पहले पूरी कर ले।
2. ईम्पटी भुगतान: इच्छुक बोलोदाता/खरीदारी से अग्रदूत है कि वे पोलेट (<https://baanknet.com>) पर अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके पंजीकरण करें। ई-केवाईसी की प्रक्रिया डिजिटलकरण के माध्यम से पूरी की जा रही है और केवाईसी स्वाक्षण पूर्ण होने के बाद, इच्छुक बोलोदाता/खरीदारी लाइन कर सकते हैं और ईम्पटी भुगतान कर सकते हैं। ईम्पटी भुगतान के लिए इच्छुक बोलोदाता/खरीदारी पोलेट पर लाइन करने के बाद वहां उपलब्ध बाजार मैनुअल में दिए गए निर्देशों का पालन कर सकते हैं। भुगतान में पोलेट नेटवे के माध्यम से और बालान बनाने बोलोदाता में गतिश जमा करने की प्रक्रिया का समता है। भुगतान निश्चित समय से पहले ही सुनिश्चित कर लें। इच्छुक बोलोदाता को ई-नीलामी बंद होने से पहले (<https://baanknet.com>) नीलामी पोलेट पर ज़रि-विट इम्पटी जमा करनी होगी। ईम्पटी जमा करने के बाद भी मिशेरा, असलत बोलोदाताओं की ईम्पटी की वापसी के लिए, बोलोदाता को ई-नीलामी सेवा प्रदाता से संपर्क करना आवश्यक है। वे लाइन करने और बाजार मैनुअल में दिए गए निर्देशों की प्रक्रिया का पालन करते हुए रिफंड का अनुरोध कर सकते हैं। असलत बोलोदाता की ईम्पटी राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
3. बोलोदाता को समय बोलोदाता को उपरोक्त वेबसाइट में डिलिजिएट सुची से उस संबंधित का चयन करना होगा जिसके लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है और/या बोलोदाता संबंधित संबंधित आईडी की दर्ज कर सकते हैं। किसी भी प्रश्न के लिए **संपर्क नंबर-8291220220** एवं ईमेल आईडी – **support.baanknet@psballiance.com** है। पंजीकरण, लाइन और बोलोदाता नियमों के लिए कृपया (<https://baanknet.com>) के होम पेज पर दिए गए बाजार मैनुअल लिंक को देखें।
4. बोलोदाता के ई-नीलामी में बोलोदाता को समय ईम्पटी राशि के बाजार पर उससे अधिक संतुष्ट होना चाहिए।
5. ई-नीलामी के दौरान, बोलोदाताओं को लाइन बोलोदाता से ऊपर और आगे की बोलोदाता की अनुमति होगी और बोलोदाता में जुद्ध नहीं होने चाहिए जो निर्दिष्ट की गई है। बोलोदाताओं को लगातार ऊँचे बोलोदाता के लिए दस मिनिट का समय दिया जाएगा और यदि अंतिम उच्चतम बोलोदाता के दस मिनिट बाद किसी भी बोलोदाता द्वारा कोई नई बोलोदाता लाइन बोलोदाता नहीं है, तो ई-नीलामी बंद कर दी जाएगी।
6. इच्छुक बोलोदाता की जिम्मेदारी है कि वह किसी सूचना, ई-नीलामी की नियम एवं लाइन, ई-नीलामी के संचालन संबंधी सहायता पुस्तिका को ठीक से पढ़ें और उनका कड़ाई से पालन करें।
7. अधिकृत अधिकारी द्वारा ई-नीलामी के अंतिमकरण के बाद, सफल बोलोदाता को हमारे उपरोक्त सेवा प्रदाता द्वारा उनके साथ पंजीकृत एक्सप्रेस/ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
8. सुनिश्चित संघर्ष को आरंभित मुद्दे से कम पर नहीं बेच जाएगा।
9. सफल नीलामी क्रेता/बोलोदाता को, नीलामी के अंतिमकरण/समापन के तुरंत बाद (अर्थात् उद्योग दिन या आगले कार्य दिवस से अधिक नहीं) बोलोदाता की 25% (पचास प्रतिशत) (जिसमें पहले जमा की गई ईम्पटी राशि शामिल है) जमा करना होगा। शेष बोलोदाता मूल्य की राशि सफल नीलामी क्रेता/बोलोदाता द्वारा संबंधित बोलोदाता की पुष्टि की तिथि से पंद्रह दिन या क्रेता और सूरुतिश प्रदाताओं के बीच लिखित रूप में समझौते अनुसार ब्याज गैर अंधी के ब्याज, किसी भी स्थिति में तीन महीने से अधिक नहीं, अधिकृत अधिकारी को जमा करनी होगी। यदि उपरोक्त राशि निश्चित रूप से बोलोदाता के बोलोदाता नहीं की जाती है, तो सफल बोलोदाता द्वारा जमा की गई राशि बैंक के पक्ष में जमा कर दी जाएगी और अधिकृत अधिकारी को संबंधित की पुनः नीलामी/किसी क्रेता को स्वतंत्रता होगी एवं चुककाई बोलोदाता का जमा की गई राशि और संबंधित पर कोई दावा नहीं होगी।
10. **भुगतान में डिफॉल्ट:** उपरोक्त/उपरोक्त उद्योग दिन या क्रेता और सूरुतिश प्रदाता के बीच 25% (ईम्पटी राशि) का भुगतान न करने और/या निश्चित समय सीमा के भीतर सेब 75% बोलोदाता का भुगतान न करने की स्थिति में बिना किसी सूचना के किसी स्तर: रत मानी जाएगी। अधिकृत अधिकारी द्वारा सफल बोलोदाता द्वारा जमा की गई ईम्पटी राशि और कोई भी राशि बैंक के पक्ष में जमा कर दी जाएगी और डिफॉल्ट करने वाले खरीदार को संबंधित या उसके बाद किसी भी राशि पर कोई दावा नहीं रहेगा, जिसके लिए वह संबंधित बाजार में बेची जा सकती है।
11. सफल बोलोदाता द्वारा बैंक को किसी मूल्य का भुगतान आखिर अंतिमकरण 1961 की भाषा पर 194-1A के तहत टीडीएस के अर्धीन और/या सेब 75% बोलोदाता जमा करते समय ही सफल बोलोदाता द्वारा टीडीएस जमा किया जाना अनिवार्य है।
12. निर्दिष्ट में डिलिजिएट नियमों के अलावा किसी अन्य जमा को किसी प्रमाणपत्र में शामिल/प्रतिस्पर्धा करने को अनुरोध सूचना नहीं किया जाएगा। किसी प्रमाणपत्र केवल सफल बोलोदाता के नाम पर जारी किया जाएगा।
13. अधिकृत अधिकारी को किसी भी वे सभी संबंधित को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है, यदि वे स्वीकार नहीं पढ़ें जाते हैं या बिना किसी कारण बताए नहीं की नीलामी की शर्तों को स्थापित/रद्द/स्थगित/समाप्त या परिवर्तित करने का अधिकार है और/या संबंधित में उनका निर्णय अंतिम होगा।
14. किसी प्रमाणपत्र तक तक नहीं किया जाएगा जब तक कि जो डीआरए/डीआरए/उच्च न्यायलय या किसी अन्य न्यायलय की किसी प्रमाणपत्र नहीं करने के विरुद्ध कोई समझौता/प्रतिबंध अक्षराला नहीं है। सरसे अस्तब, इस अधिकार के दौरान जमा की गई राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। सफल बोलोदाता द्वारा जमा की गई राशि, बोलोदाता के निष्कर्षण की प्रक्रिया में, बिना ब्याज तक जमा खाते में रखी जाएगी। जमा राशि को आंशिक या पूर्ण वापस करने की रद्दीकरण के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि डीआरए/डीआरए/उच्च न्यायलय या किसी अन्य न्यायलय द्वारा आगे की कार्यवाही पर समझौता आदेश दिया जाता है, तो नीलामी को स्थगित या रद्द किया जा सकता है और इससे भागी को उसके बाद केवल खर्चों को अधिकृत अधिकारी/बैंक के विरुद्ध ऐसे समझौते या रद्दीकरण के लिए कोई दावा करने का अधिकार नहीं होगा।
15. इच्छुक खरीदार उपरोक्त डिलिजिएट तिथि और समय पर या बैंक द्वारा सूचित किए गए समय पर अपनी लागत पर संबंधित का निरीक्षण कर सकते हैं। शीर्षक दस्तावेज और बैंक के पास उपलब्ध अन्य दस्तावेजों की निरीक्षण के लिए, इच्छुक बोलोदाता कार्यालय समय के दौरान पंजाब एंड सिंड बैंक की संबंधित शाखा से संपर्क कर सकते हैं।
16. संबंधित "जैसी स्थिति में है", "जैसी है जहाँ है", "जो कुछ भी है" एवं "बिना किसी पुनर्विचार के" आधार पर बेची जा रही है और इच्छुक बोलोदाता को संबंधित राशि/दस्तावेज/एसआरओ/जवन अपिलेड/अन्य वैधानिक प्राधिकरणों से संबंधित पर किसी भी प्रकार के दावे/अधिकार/बचस्व/प्रकार जैसे किसी कर, उपाय शूल्क/जीएसटी/आजक के अलावा बैंक के भाग के बारे में स्वतंत्र रूप से अपने-पुढता एवं/या संपायन करना चाहिए और संबंधित के शीर्षक, प्रकृति, विवरण, गुणवत्ता, मात्रा, स्थिति, बंधन, प्रकार, वैधानिक बकाया आदि के बारे में स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए, इससे पहले कि वे अपनी नीलामी प्रस्ताव करें। ई-नीलामी का विधान किसी भी प्रकार को प्रतिस्पर्धा या बैंक को कोई प्रतिस्पर्धी नहीं माना जाएगा। अधिकृत अधिकारी/संबंधित प्रदाता किसी भी तैरसे पक्ष के बंधनदार/अधिकार/बकाया के लिए किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा। संबंधित की किसी के लिए प्रस्ताव की गई संबंधित पर किसी भी प्रकार के प्रकार/बंधन या किसी अन्य विषय पर अंतिम बोलोदाता प्रस्तुत करने के बाद किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
17. बैंक किसी के लिए प्रस्ताव पक्षों के संबंध में किसी भी अनुमति/लासेसे, एंशरीसी आदेश या किसी भी प्रकार के कोई निष्कर्षण नहीं लेता है। अधिकृत अधिकारी/संबंधित प्रदाता किसी भी बकाया जैसे पक्ष/सेब शूल्क, ट्रांसफर चार्ज, निगलति बिना, नगर निगम/स्थानीय प्राधिकरण/खरीदारी हस्तारोपित बोलोदाता या किसी अन्य बकाया, बंधन, शूल्क, लेवी, ट्रांसफर फीस आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जो उक्त संबंधित की किसी के संबंध में या उसके लिए देय हो। सफल बोलोदाता को संबंधित की खरीद के संबंध में आखिर के प्रवधानों का पालन करना होगा और लागू दूरों के अनुसार संबंधित प्राधिकरणों को कर का भुगतान करना होगा।
18. बोलोदाता को जितने ईररेट के कोई/डिफॉल्ट, बाजार बैंक-अप आदि सुनिश्चित करना चाहिए, बैंक ईररेट/डिफॉल्ट, निजती स्थिति/समाप्त या तकनीकी गड़बड़ी या ई-नीलामी को प्राप्तिगत करने वाले किसी भी कारण/आपत स्थिति के कारण किसी भी व्यवधान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
19. यदि संबंधित बैंक के प्रतीकात्मक कब्जे में है और बोलोदाता संबंधित को प्रतीकात्मक कब्जे में खरीद रहा है, तो वह पूरी राशि पर उसकी अपनी जेबिना और जिम्मेदार हो होगा।
20. यदि बोलोदाता को ईररेट, बोलोदाता की राशि, ईम्पटी या बोलोदाता को प्राप्त, बोलोदाता का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति के अधिकार के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो अधिकृत अधिकारी की व्याख्या और निर्णय अंतिम होगा। ऐसी स्थिति में, बैंक अपने विवेकाधिकार में किसी को रद्द करने और संबंधित को पुनः किसी भी तिथि एवं समय पर किसी के लिए रद्द करने का अधिकार रखता है, जैसा कि बैंक द्वारा तय किया जाएगा। किसी भी प्रकार के विवाद के लिए, बोलोदाता को केवल संबंधित शाखा के अधिकृत अधिकारी से ही संपर्क करना होगा।
21. किसी सूचना/प्रमाणपत्र बैंक को पुष्टि के अर्धीन है।
22. किसी सूचना/आवेदन/संज्ञा/अधिकृत अधिकारी और उसके तहत बाजार एवं निगमिता (प्रमाण) नियम, 2002 में निर्धारित शर्त/नियम/प्रवधान या सब उपरोक्त डिलिजिएट नियम एवं/या बैंक को अर्धीन है। अधिकृत जानकारी के लिए इच्छुक बोलोदाता उपरोक्त डिलिजिएट अधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
23. यह सूचना/आवेदनाओं एवं गारंटी (उत्तराधिकार) पर निगमिता (6) सुरक्षा/प्रतिपत्ति, नियम 2002 के तहत 30 दिनों की वैधानिक प्रकृति सूचना के रूप में भी मानी जा सकती है।

केएन एश्री रिसोर्सेज लिमिटेड
CIN: L51411CT1987PLC003777

पंजीकृत कार्यालय: केन्द्रीय विद्युत, पंखशील, रायपुर- 492001
ई-मेल: info@knagri.com वेबसाइट: www.knagri.com
फ़ोन: +91-771-2293706-08, 4016370

आक मयपत्र की सूचना एवं रिपोर्ट ई-वोटिंग संबंधी जानकारी

यह सूचना कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108 और 110, तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 ("नियम") के नियम 20 एवं 22, और अन्य सभी लागू प्राधान्यों (यदि कोई भी), सामान्य बैठकों पर सचिवालय मानक (SS-2), भारतीय प्रतिभूति और वित्तिय बोर्ड (स्वीकृत) द्वारा दियित और प्रकटिकरण आधारकृतानुसार, 2015 ("सीएस विनियम") के प्राधान्य नियम 44 (विनियम सम्य-सम्य पर किया जाय कोई भी धनिक सह बोधोय या पुनः अधिनियमन बाधित है), तथा भारतीय प्रतिभूति और वित्तिय बोर्ड (पूजी निमन और प्रकटिकरण आबधकृतानुसार) विनियम, 2018 ("ICDR विनियम") के अध्याय XI के अर्हतन निहित प्राधान्यों को पडते हुए, तथा कोर्पोरेट काल मंत्रालय (MCA) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रिल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रिल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 33/2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 39/2020 दिनांक 31 दिसम्बर, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 110/2021 दिनांक 23 जून, 2021, सामान्य परिपत्र संख्या 20/2021 दिनांक 8 दिसम्बर, 2021, सामान्य परिपत्र संख्या 3/2022 दिनांक 5 मई, 2022, सामान्य परिपत्र संख्या 11/2022 दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 तथा सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितम्बर, 2023 ("MCA परिपत्रों") के रूप में सामुहिक रूप से संवर्धित) तथा अन्य सभी लागू विधियों एवं विनियमों के अनुपालन में दी जा रही है कि निम्नलिखित विशिष्ट प्रस्ताव को केवल रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से आक मयपत्र द्वारा ही वोट किया जाना प्रस्तावित है।

1. कंपनी के पञ्चदश निदेशक के रूप में की अनुज शशीलाल गोलेच (सीआईडीए: 07593380) की निम्नलिखित को अनुमोदन प्रदान करना।

अधिनियम एवं पूजी विनियमों के प्राधान्यों के अनुपालन में तथा MCA परिपत्रों को पडते हुए, कंपनी ने अधिनियम की धारा 102 के अर्हतन आबधकृतानुसार पञ्चदश निदेशक तहत आक मयपत्र सूचना का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण दिनांक 09 जनवरी, 2026 को पूरा कर दिया है। यह सूचना उन सभी शेयरधारकों को ईमेल के माध्यम से भेजी गई है, जो शुक्रवार, दिनांक 02 जनवरी, 2026 ("कट-ऑफ तिथि") को कंपनी में श्रेयधारक थे और निम्नलिखित ईमेल आईडी केमार्फत/विशुद्ध एवं शेयर ट्रान्सफर प्लेटफॉर्म (RTA) विभिन्न/टिआर/विभिन्न/टिआर प्रतिमानों (DPs) के साथ प्रतीक है, ताकि दिनांक 07 जनवरी, 2026 के आक मयपत्र सूचना में उल्लिखित व्यापारिक प्रतीकों का निपटन किया जा सके। आक मयपत्र सूचना कंपनी की वेबसाइट www.knagri.com, नेमसल स्ट्रीट एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) की वेबसाइट www.nseindia.com तथा एक्सट्रीमल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है। सूचना की कोई भी मौखिक प्रति सदस्यों को नहीं भेजी गई है और सदस्यों की स्वीकृत/अस्वीकृत विवेक रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से ही अधिनियम की जाएगी। सदस्यों के मतदान अधिकारों की गणना शुक्रवार, दिनांक 02 जनवरी, 2026 को की गई है, जो कि कट-ऑफ तिथि है, और जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि को कंपनी का सदस्य नहीं है, वह इस सूचना को केवल जानकारी के हेतु सूचना को सदस्य अपने अधिकारी पंजीकृत/अपडेट नहीं करता था है, उनसे अपेक्ष है कि वे अपने संबंधित विभिन्न/टिआर प्रतिमानों (या RTA MUG Intime India Private Limited के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत) अपडेट कर सकते हैं, ताकि भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक रूप में मतदान होगा जा सके। इसके लिए वे evoting@linkintime.co.in / ashok.shergaur@linkintime.co.in पर संपर्क कर सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि: 1. आक मयपत्र सूचना में निष्पक्ष व्यापार को इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के माध्यम से संचालित किया जाएगा। 2. कंपनी ने रिपोर्ट ई-वोटिंग सुविधा प्रमाणन करने के लिए NSDL की सेवाओं को निम्नलिखित है। 3. रिपोर्ट ई-वोटिंग कालिबर, 10 जनवरी, 2026 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगा। 4. रिपोर्ट मक NSDL द्वारा रिपोर्ट ई-वोटिंग को अपडन कर दिया जाएगा। एक बार जब किसी प्रतिमान पर मतदान कर दिया जाता है, तो सदस्य को उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं है। 5. रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान की यात्रता निष्पक्ष करने के लिए कट-ऑफ तिथि शुक्रवार, 02 जनवरी, 2026 है।

कंपनी ने आक मयपत्र ई-वोटिंग प्रक्रिया को निम्न्य और परवर्ती तहत से संपन्न करने के लिए प्रेषित अतिश धन (एक्सप्लिकेट, प्रोटिस्टिस्ट निमो सेकेट्रीज (सर्वस्वता संख्या: 40985 और प्रमाणन अयास संख्या: 15315) को स्वीकृत/अपडेट के रूप में निम्नलिखित है। आक मयपत्र का प्रमाणन मयवर्तार, 10 जनवरी, 2026 को या उसके पहले पंजीकृत कार्यालय में मौखिक किया जाएगा और यह सूचना कंपनी की वेबसाइट www.knagri.com तथा स्ट्रीट एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी प्रसारित होगा। ई-वोटिंग निर्देशों के लिए, सदस्य सूचना में दिए गए निर्देशों का पालन कर सकते हैं और यदि शेयरधारकों/निवेशकों को ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न हो, तो वे www.evoting.nsdl.com की डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए सामान्य प्रश्न (FAQs) और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मनुअल को देख सकते हैं, 0222-48867700 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.com पर अनुरोध करते हैं।

केएन एश्री रिसोर्सेज लिमिटेड के लिए